ऊन एवं ऊनी वस्त्र क्षेत्र

1. प्रस्तावना-

भारत में ऊनी वस्त्र और क्लोदिंग उद्योग कपास और मानव निर्मित फाइबर आधारित वस्त्र और क्लोदिंग उद्योग की तुलना में ऊनी वस्त्र और क्लोदिंग उद्योग तुलनात्मक रूप से छोटा है। तथापि ऊनी क्षेत्र विनिर्माण उद्योग के साथ ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सम्बद्ध करने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है, जिसमें लघु, मध्यम और बड़े स्तर की इकाइयों का प्रतिनिधित्व होता है। उत्पाद पोर्टफोलियों वस्त्र मध्यवर्ती से तैयार वस्त्र, परिधान, निटवियर, कंबल, कालीन में सामान रूप से विभाजित है और तकनीकी वस्त्र अभी शुरूआती चरण में है। ऊन उद्योग ग्रामीण आधारित निर्यात उन्मुक्त उद्योग है और गर्म कपड़ों के लिए नागरिक और रक्षा आवश्यकताओं को पूरा करता है। भारत वर्ष 2017-18 में 43.50 मिलियन कि.ग्रा. कच्ची ऊन का उत्पादन सहित 65.70 मिलियन भेड़ वाला दुनिया में तीसरा सबसे बड़ा भेड़ जनसंख्या वाला देश है। इसमें से लगभग 85% ऊन कालीन श्रेणी की है, 5% अपैरल श्रेणी और शेष 10% खुरदरी श्रेणी की ऊन है जिससे कंबल आदि बनते हैं। भारत में प्रति भेड़ औसत वार्षिक उत्पादन विश्व के औसत 2.4 कि.ग्रा. की तुलना में 0.9 कि.ग्रा. है। विशिष्ट फाइबर की गुणवत्ता की छोटी मात्रा पश्मीना बकरी और अंगोरा खरगोश से प्राप्त की जाती है। ऊन का घरेलू उत्पादन अपर्याप्त है इसलिए उद्योग आयातित कच्ची सामग्री पर आश्रित है और ऊन एकमात्र प्राकृतिक रेशा है जिसकी देश में कमी है।

देश में ऊनी उद्योग का आकार 11484.82 करोड़ रुपए का है और मुख्य तौर पर यह संगठित और विकेंद्रीकृत क्षेत्रों के मध्य विभाजित और फैला हुआ है। संगठित क्षेत्र में: कंपोजिट मिल्स, कांबिंग यूनिट्स, वर्स्टेड और नॉन वर्स्टेड स्पिनिंग यूनिट्स, निट वियर्स और वूवन गारमेंट्स यूनिट्स तथा मशीन मेड कारपेट्स मैन्यूफैक्चरिंग यूनिट्स शामिल हैं। विकेंद्रीकृत क्षेत्र में हॉजरी और निटिंग, पावरलूम, हैंड नोटेड कारपेट्स, ड्रगेस्ट, नामादाहस और इंडिपेंडेंट डाइंग, प्रोसेस हाउसेस और वूलन हैंडलूम सेक्टर शामिल है।

देश में कई ऊनी इकाइयां हैं उनमें से अधिकांश लघु स्तर के क्षेत्र में है। उद्योग में दूरदराज और विविध क्षेत्रों में रोजगार सृजन की संभावना है और फिलहाल यह क्षेत्र संगठित ऊन क्षेत्र में भेड़ पालन और फार्मिंग सेक्टर से संबद्ध 20 लाख व्यक्तियों के अतिरिक्त लगभग 12 लाख व्यक्तियों को रोजगार प्रदान करता है। इसके अतिरिक्त कालीन क्षेत्र में 3.2 लाख बुनकर कार्यरत हैं।

1.1 ऊन एवं ऊनी उद्योग में संगठित और विकेंद्रीकृत क्षेत्र शामिल होता है:

(i) संगठित क्षेत्र
   (क) कंपोजिट मिल्स
   (ख) कांबिंग यूनिट्स
   (ग) वर्स्टेड और नॉन वर्स्टेड स्पिनिंग यूनिट्स
   (घ) निट वियर्स और वूवन गारमेंट्स यूनिट्स
   (ङ) मशीन मेड कारपेट्स मैन्यूफैक्चरिंग यूनिट्स

(ii) विकेंद्रीकृत क्षेत्र
   (क) हॉजरी और निटिंग यूनिट्स

(ख) पावरलूम यूनिट्स

(ग) हैंड मेड कारपेट, ड्रगेस्ट और नामादाहस यूनिट्स

(घ) इंडिपेंडेंट डाइंग और प्रोसेस हाउसेस

1.2 ऊन उत्पादन और खपत

भारत में कुल ऊन उत्पादन ऊनी उद्योग की कच्ची ऊन की कुल आवश्यकता को पूरा करने के लिए पर्याप्त नहीं है। भारतीय ऊन की अधिकांश मात्रा मोटी गुणवत्ता की है और अधिकांशत: इसका उपयोग हसतनिर्मित कालीन उद्योग के लिए किया जाता है। चूंकि संगठित मिलों और विकेंद्रीकृत हॉजरी क्षेत्र द्वारा अपेक्षित ऊन की उत्तम गुणवत्ता का स्वदेशी उत्पादन बहुत सीमित है इसलिए भारत अधिकांशत: विशिष्ट रूप से आयात पर निर्भर है।

स्वदेशी ऊन का उत्पादन:

वर्ष	**उत्पादन मात्रा (मिलियन कि.ग्रा.)**
2010-11	44.00 मिलियन कि.ग्रा.
2011-12	44.40 मिलियन कि.ग्रा.
2012-13	46.05 मिलियन कि.ग्रा.
2013-14	47.90 मिलियन कि.ग्रा.
2014-15	48.14 मिलियन कि.ग्रा.
2015-16	43.60 मिलियन कि.ग्रा.
2016-17	43.50 मिलियन कि.ग्रा.

(स्रोत: कृषि मंत्रालय, पशुपालन विभाग)

प्रमुख ऊन उत्पादन राज्य:–

क्र.सं.	राज्य	ऊन उत्पादन 2017-18 (मात्रा '000' **कि.ग्रा. में**.)
1	राजस्थान	13924.19
2	जम्म-कश्मीर	7411
3	कर्नाटक	4392
4	तेलंगाना	4800
5	गजरात	2267
6	हिमाचल प्रदेश	1500
7	महाराष्ट्र	1418
8	उत्तराखंड	558
9	उत्तर प्रदेश	1404
10	आंध्र प्रदेश	793

(स्रोत: कृषि मंत्रालय, पशुपालन विभाग)

1.3 प्रसंस्करण

ऊनी उद्योग अपर्याप्त और पुरानी प्रसंस्करण सुविधाओं से घाटा उठा रहा है। गुणवत्तायुक्त तैयार उत्पाद सुनिश्चित करने के लिए करघा पूर्व और करघा पश्चात सुविधाओं को आधुनिक किया

जाना अपेक्षित है। ऊनी उत्पादों की उत्तम गुणवत्ता से न केवल स्वदेशी ऊन का प्रयोग बढ़ेगा बल्कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में ऊनी उत्पाद अधिक प्रतिस्पर्धी भी होंगे। इससे ऊनी उत्पादकों के लिए बेहतर मूल्य खरीद में सहायता मिलेगी और खादी तथा हथकरघा क्षेत्र के लिए गुणवत्ता युक्त कच्ची सामग्री उपलब्ध होगी।

ऊनी उद्योग के समग्र आकार और प्रसंस्करण के लिए अपेक्षित विशिष्ट प्रकृति के उपकरणों के कारण यह उद्योग स्थानीय स्रोतों से कुछेक मानार्थ उपकरणों को छोड़कर आयातित संयंत्र और मशीनरी पर आश्रित है। कच्ची ऊन के रेशे से लेकर फैब्रिक, इसके बाद निटिंग और गारमेंटिंग के प्रसंस्करण के लिए अपेक्षित मशीनरी अधिकांशत: यूरोपीय देशों, संयुक्त राज्य अमेरिका और जापान से आयातित की जाती हैं।

1.4 आयात

देश में ऊन का उत्पादन ऊनी उद्योग विशेष रूप से अपैरल क्षेत्र की मांग को पूरा करने के लिए अपर्याप्त है और अधिकांशत: इसका आयात आस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और कई दूसरे देशों से किया जा रहा है। भारतीय ऊनी उद्योग के विभिन्न सेगमेंटों की वर्तमान आवश्यकता आगे बढ़ने की संभावना है क्योंकि ऊनी मदों की घरेलू और निर्यात मांग बढ़ी है।

हाल के वर्षों में उत्तम गुणवत्ता की ऊन का आयात से निम्न गुणवत्ता की ऊन में बदलाव हुआ है। यह बदलाव अमरीका और दूसरे पश्चिमी बाजारों में हैंड टफ्टेड कालीनों के लिए उपभोक्ता वरीयता के कारण है। मध्य पूर्व से सस्ती ऊन आयात भी निरंतर बढ़ रहा है और इसे स्वदेशी ऊन के साथ मिलाकर हैंड टफ्टेड कालीन बनाई जाती है।

आस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और कई अन्य देशों से कच्ची ऊन का आयात निम्नलिखित अनुसार है:

वर्ष	**मात्रा (मिलियन कि.ग्रा. में)**	**मूल्य (करोड़ रुपए में)**
2010-11	94.77	1434.65
2011-12	76.29	1876.87
2012-13	77.16	1801.90
2013-14	89.60	1967.72
2014-15	96.53	2125.74
2015-16	97.83	2016.12
2016-17	87.15	1894.26
2017-18	79.95	1884.59

(स्रोत: डीजीसीआईएंडएस, कोलकाता)

प्रमुख देशों से कच्ची ऊन आयात

क्र.सं.	देश	मात्रा टन में (2017-18)
1	ऑस्ट्रेलिया	14079.488
2	चीन	10513.462
3	न्यूजीलैंड	9157.914

4	सऊदी अरब	4918.388
5	पाकिस्तान	4690.367
6	सीरिया	4501.574

(स्रोत: डीजीसीआईएंडएस, कोलकाता)

ऊनी उद्योग द्वारा अपेक्षित कच्ची सामग्री अर्थात कच्चे ऊन और ऊनी/सिंथेटिक रेग्स का आयात खुला सामान्य लाइसेंस (ओजीएल) के अंतर्गत होता है।

1.5 निर्यात

भारत विभिन्न ऊनी उत्पाद जैसे टॉप्स, यार्न, फैब्रिक, सिलेसिलाए परिधान और कालीन का निर्यात करता है। कुल निर्यात में अधिकतम हिस्सेदारी कालीन की होती है। ऊनी टॉप्स से लेकर तैयार उत्पादों जैसे वस्त्र, क्लोदिंग, कंबल और कालीन ऊनी मदों का कुल निर्यात फिलहाल लगभग 11484 करोड़ रुपए का अनुमान है।

12वीं योजना अवधि के दौरान विभिन्न कारकों के कारण वृद्धि में बाधा उत्पन्न हुई थी। हालांकि निर्यात वृद्धि में अच्छे अवसर हैं। प्राथमिक क्षेत्र जो वस्त्र, वूवन क्लोदिंग, निट वियर और कालीन की निर्यात वृद्धि में संभावना दे सकते हैं। वृद्धि दर को बनाए रखने के लिए सुधार संबंधी कार्रवाई तत्काल की जानी चाहिए जो प्रमुख बाजारों में बेहतर पहुंच के लिए संयुक्त उद्यमों के माध्यम से निर्यात आउटलुक को सुदृढ़ करने के लिए प्रत्यक्ष विदेशी निवेश आकर्षित भी कर सकता है।

निर्यात का मद-वार विवरण निम्नलिखित है:-

मूल्य (करोड़ रुपए में)

वर्ष	ऊनी यार्न, फैब्रिक, मेड-अप्स	सिलेसिलाए परिधान	हस्तनिर्मित कालीन (रेशम को छोड़कर)	कुल
2006-07	379.28	1636.54	3891.47	5907.30
2007-08	373.57	1409.54	3725.79	5508.90
2008-09	456.51	1742.97	3505.37	5704.85
2009-10	424.63	1838.09	3442.93	5705.65
2010-11	501.20	1510.92	4706.68	6718.77
2011-12	725.20	1654.69	4051.21	6431.09
2012-13	659.03	1617.43	5340.77	7617.23
2013-14	684.70	1888.60	6255.83	8829.21
2014-15	1234.61	1901.76	8301.56	11437.90
2015-16	1284.91	1724.86	9421.75	12431.52
2016-17	1180.24	1443.26	9956.63	12580.13
2017-18	1197.86	1089.97	9196.99	11484.82

(स्रोत: डीजीसीआईएंडएस, कोलकाता)

प्रमुख देशों को निर्यात: ऊनी यार्न, फैब्रिक्स, मेड-अप्स

क्र.सं.	*देश*	मूल्य करोड़ में (2017-18)
1	इटली	261.86
2	यूनाइटेड किंगडम	193.90
3	जापान	122.69
4	कोरिया गणराज्य	106.83
5	यूएसए	48.50
6	बांग्लादेश	36.39

(स्रोत: डीजीसीआईएंडएस, कोलकाता)

निर्यात : कालीन-रेशम को छोड़कर

क्र.सं.	*देश*	मूल्य करोड़ में (2017-18)
1	यूएसए	4716.61
2	जर्मनी	905.50
3	ऑस्ट्रेलिया	362.62
4	संयुक्त अरब अमीरात	183.28
5	नीदरलैंड	179.79
6	इटली	164.46
7	फ्रांस	153.88

(स्रोत: डीजीसीआईएंडएस, कोलकाता)

निर्यात : सिलेसिलाए ऊनी परिधान

क्र.सं.	देश	मूल्य करोड़ में (2017-18)
1	यूएसए	233.81
2	संयुक्त अरब	105.59
3	यूनाइटेड किंगडम	103.74
4	तंजानिया	95.58
5	फ्रांस	64.44
6	कनाडा	49.35
7	जर्मनी	46.38

(स्रोत: डीजीसीआईएंडएस, कोलकाता)

1.6 अनुसंधान एवं विकास

कच्ची सामग्री के चयन, विभिन्न समायोजन उपकरणों का नियंत्रण और उत्पादन लागत घटाने तथा उत्पाद की गुणवत्ता में सुधार के संदर्भ में तकनीकी और समस्या समाधान सेवाएं प्रदान करने के लिए गुणवत्ता नियंत्रण की नियमित प्रणाली अपनाने और उत्पादों की गुणवत्ता को बनाए रखने के लिए ऊन उद्योग की मदद करने हेतु देश में अनुसंधान और विकास कार्यकलापों का संवर्धन करना चाहिए।

अनुसंधान एवं विकास कार्यकलापों में निवेश से निम्नलिखित तरीके से मदद मिलेगी:

- ऊन के यांत्रिक और रसायन प्रसंस्करण में नवीनतम तकनीकों के आधार पर नए उत्पादों का विकास और उद्योग को इसकी जानकारी हस्तांतरित करना।
- मध्यवर्ती चरणों सहित फाइबर, यार्न और फैब्रिक चरणों जैसे विविध उत्पादों के गुणों के परीक्षण के लिए अध्ययन करना और अनुसंधान एवं विकास सुविधाएं प्राप्त करना।
- संगठित क्षेत्र को गुणवत्ता आश्वासन और परीक्षण में सेवाओं का प्रावधान।
- विकेंद्रीकृत उद्योग को सेवाओं का प्रावधान जो लघु उपकरणों में आस्ट्रेलियन ऊन का प्रयोग करता है जहां संगठित क्षेत्र की तुलना में विशिष्ट उपकरण और मशीनरी बहुत कम है।
- तकनीकी जानकारी के निरंतर उन्नयन हेतु प्रौद्योगिकीय/पर्यवेक्षणीय प्रशिक्षण की उद्योग की मांग की सहायता के लिए तकनीकी प्रशिक्षण और उपयुक्त पाठ्यक्रमों की पेशकश करना।
- नवीनतम विकास का प्रसार करने के लिए ऊन प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में भारत और विदेश के उद्योग विशेषज्ञों की प्रतिभागिता के साथ नियमित रूप से कार्यशालाओं और संगोष्ठियों का आयोजन करना।

1.7 मानव संसाधन विकास कार्यक्रम

यह महसूस किया गया है कि ऊन क्षेत्र में मानव संसाधन विकास के पहलुओं की उपेक्षा की गई है। चूंकि सरकार ने ऊन उद्योग को बल दिए जाने वाले क्षेत्र के रूप में पहचान की है इसलिए ऊन उद्योग की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए मानव संसाधन के विकास के लिए भरसक प्रयास किया जाना अनिवार्य है।

ऊन उद्योग 1.7 मिलियन कामगारों और 30,000 सुपरवाइजरी स्तर के कार्मिकों को रोजगार प्रदान करता है। वस्त्र क्रियाकलाप और अनुमानित लक्ष्य में वृद्धि होने के साथ जहां संबद्ध क्षेत्र में 7 मिलियन अतिरिक्त नौकरियों के साथ वस्त्र उद्योग में 5 मिलियन प्रत्यक्ष रोजगार का सृजन होने की संभावना है, प्रशिक्षित/अर्हता प्राप्त सुपरवाइजरी कार्मिकों एवं प्रबंधकों के अलावा कुशल और अर्द्धकुशल कार्यबल वाले ऊनी क्षेत्र में लगभग 2 लाख नई नौकरियों की आवश्यकता का अनुमान लगाना सुरक्षित है।

1.8 ऊनी क्षेत्र द्वारा सामना की गई बाध्यताएं

(i) कच्ची ऊन का उत्पादन:

- ऊनी क्षेत्र के विकास में राज्य सरकारों की कम प्राथमिकता।

- जागरूकता की कमी, परंपरागत प्रबंधन प्रक्रियाएं और शिक्षा का अभाव तथा ऊन उत्पादकों की खराब आर्थिक स्थितियां।
- चारे वाली भूमि की कमी जो उत्पादकों को वर्ष भर अपने जानवरों को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए मजबूर करती हैं।
- भेड़-पालकों को उनके उत्पादों जैसे कच्ची ऊन की बिक्री, जीवित भेंड़, खाद, दूध, मांस, चमड़ा का कम लाभ।
- भेड़ प्रबंधन, भेड़ की मशीन से बाल उतराई, कच्ची ऊन की धुलाई एवं ग्रेडिंग आदि की आधुनिक पद्धतियों को अपनाने के लिए प्रेरणा का अभाव।
- अच्छी गुणवत्ता वाले फाइबर जैसे पश्मीना बकरी का ऊन और अंगूरा खरगोश का ऊन, का अपर्याप्त उत्पादन और प्रसंस्करण सुविधाएं।

(ii) कच्ची ऊन का विपणन

- अपर्याप्त बाजार सुविधाएं और अवसंरचना।
- ऊन उत्पादन करने वाले राज्यों में राज्य ऊन विपणन संगठनों की अप्रभावी भूमिका।
- पारिश्रमिक लाभ सुनिश्चित करने के लिए संगठित विपणन का अभाव और न्यूनतम सहायता मूल्य प्रणाली।
- ऊन उत्पादकों द्वारा ऊन की बिक्री से प्राप्त न्यूनतम आय।

(iii) ऊन का प्रसंस्करण

- अच्छी गुणवत्ता वाली कच्ची ऊन की अपर्याप्त मात्रा।
- पुरानी और अपर्याप्त करघा पूर्व एवं करघा पश्च प्रसंस्करण सुविधाएं।
- ऊन संभावित क्षेत्रों में अपर्याप्त रंगाई की सुविधाएं।
- ऊनी हथकरघा उत्पादों की डिजाइनिंग एवं विविधीकरण की आवश्यकता।
- तकनीशियनों एवं प्रशिक्षित कामगारों की कमी।
- अपर्याप्त परीक्षण सुविधाएं और गुणवत्ता वाले नियंत्रण उपाय।
- प्रौद्योगिकी का हस्तांतरण अपर्याप्त है।
- प्रचालनशील और तकनीकी बैंचमार्क की कमी।

(iv) शिक्षा, अनुसंधान एवं विकास, मानव संसाधन विकास

- ऊन प्रौद्योगिकी के लिए कोई शिक्षण संस्थान नहीं है जिसके कारण ऊन क्षेत्र में विशेषज्ञता की कमी है।
- अपर्याप्त डाटाबेस।
- अन्य फाइबरों के साथ कच्ची ऊन के मिश्रण तथा ऊनी उत्पादों के विविधीकरण पर आरएंडडी कार्य की आवश्यकता।
- दक्षिणी क्षेत्र में उत्पादित दक्कनी ऊन के मूल्य की वृद्धि के लिए आरएंडडी कार्य का अभाव।

2. ऊन क्षेत्र की योजना:एकीकृत ऊन विकास कार्यक्रम (आईडब्लयूडीपी)

ऊन क्षेत्र के सर्वांगीण विकास के लिए वस्त्र मंत्रालय ने एक नया एकीकृत कार्यक्रम अर्थात एकीकृत ऊन विकास कार्यक्रम (आईडब्लयूडीपी) तैयार किया है। इस कार्यक्रम को 112 करोड़ रुपए के वित्तीय परिव्यय से वर्ष 2017-18 से 2019-20 तक के वित्तीय वर्ष में प्रमुख उत्पादक राज्यों में केंद्रीय ऊन विकास बोर्ड के माध्यम से क्रियान्वित किया जाएगा। यह कार्यक्रम सभी स्टेकहोल्डरों जैसे ऊन उत्पादकों के को-आपेरेटिव्स का गठन, मशीन शीप शियरिंग, ऊन विपणन/ऊन प्रसंस्करण/ऊनी उत्पाद विनिर्माण इकाइयों/सीएफसी के सशक्तिकरण की अनिवार्य आवश्यकता सहित ऊन क्षेत्र के विकास के लिए बनाया गया है। जम्मू एवं कश्मीर राज्य के लिए प्रधानमंत्री विकास कार्यक्रम (पीएमडीपी) के अनुसार वस्त्र मंत्रालय ने पश्मीना ऊन के संवर्धन के लिए आईडब्ल्यूडीपी के अंतर्गत कुल 50 करोड़ रुपए के वित्तीय आबंटन से जम्मू एवं कश्मीर राज्य के लिए पुनर्निर्माण योजना को अनुमोदित किया है। आईडब्ल्यूडीपी, ऊन क्षेत्र की संपूर्ण श्रृंखला अर्थात् ऊन उत्पादक से अंतिम उपयोगकर्ता तक सहायता प्रदान करेगी।

एकीकृत ऊन विकास कार्यक्रम (आईडब्लयूडीपी), एक व्यापक कार्यक्रम है जिसे ऊन उत्पादक राज्यों में वर्ष 2017-18 से 2019-20 तक तीन वर्षों में क्रियान्वित किया जाएगा। इस कार्यक्रम के निम्नलिखित संघटक हैं:

(करोड़ रुपए में)

संघटक		बजट आवंटन
I.	ऊन विपणन योजना (डब्ल्यूएमएस)	10.00
II.	ऊन प्रसंस्करण योजना (डब्ल्यूपीएस)	8.00
III.	एचआरडी और प्रोमोशनल गतिविधियां	4.00
IV	सामाजिक सुरक्षा योजना: (एसएसएस)	12.00
V	अंगोरा ऊन विकास योजना (एडब्ल्यूडीएस)	2.00
VI.	ऊन विकास योजना (डब्लूडीएस)	14.00
VII.	जम्मू-कश्मीर राज्य (पश्मिना संवर्धन कार्यक्रम) के लिए पुनर्निर्माण योजना	50.00
VIII	स्थापना व्यय (सीडब्ल्यूडीबी)	12.00
3 साल के लिए कुल आवंटन **(2017-18** से **2019-20)**		**112.00**

यह कार्यक्रम केंद्र/राज्य सरकार के पशुपालन विभागों, राज्य सरकारों के भेड़ एवं ऊन बोर्डों/निगमों/संघों, क्रियान्वयन एजेंसी (आईए) के रूप में केंद्र/राज्य सरकारों द्वारा स्थापित ऊन

अनुसंधान संस्थाओं आदि के माध्यम से क्रियान्वित किया जाएगा। इस कार्यक्रम के संघटक/उप-संघटक के अंतर्गत सहायता प्रदान करने के लिए क्रियान्वयन एजेंसियां परियोजना क्षेत्र के मौजूदा परिदृश्य, क्रियान्वयन की पद्धति, स्थान, गणना योग्य अवधि में प्रत्याशित परिणाम, वर्ष-वार भौतिक एवं वित्तीय कार्य योजना, वस्तुओं की विशिष्टता, समय-सीमा के साथ योजना मानदंडों के अनुसार विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) तैयार करेगी और इसका प्रस्ताव निर्धारित प्रपत्र में सीडब्ल्यूडीबी को प्रस्तुत करेंगी। इस कार्यक्रम के क्रियान्वयन के लिए नोडल तकनीकी एजेंसी केंद्रीय ऊन विकास बोर्ड (सीडब्ल्यूडीबी) होगा।

ऊन क्षेत्र के विकास के लिए वर्ष 2017-18 से 2019-20 तक के वित्तीय वर्ष के दौरान क्रियान्वयन के लिए संक्षिप्त एकीकृत ऊन विकास कार्यक्रम (आईडब्लयूडीपी) निम्नानुसार है:

(i) ऊन विपणन योजना (डब्ल्यूएमएस)

ऊन उत्पादन के पश्चात एकमात्र सबसे कमजोर कडी ऊन का विपणन है। भारत में ऊन का विपणन अनिवार्य रूप से निजी ऊन व्यापारियों के हाथ में है। ऊन उत्पादकों को उचित लाभ प्रदान करने के लिए ऊन का कोई संगठित बाजार नहीं है। ऊन के मूल्यों में काफी ऊतार-चढ़ाव आता रहता है और वास्तव में पिछले दशक में ऊन के मूल्य में कदाचित कोई वृद्धि हुई है।

देश में कच्ची ऊन के विपणन पर अधिक जोर देने के लिए राज्य संगठनों की सहायता से ऊन के विपणन के लिए रिवालविंग फंड का निर्माण, ऊन के विपणन/नीलामी के लिए ई-पोर्टल, ऊन उत्पादक सोसाइटी का निर्माण, मौजूदा ऊन मंडी/ऊन ग्रेडिंग केंद्रों (भंडारण कक्ष, नीलामी सुविधा, परीक्षण प्लेटफार्म आदि) के विपणन के लिए अपेक्षित अवसंरचना को मजबूत बनाने के लिए वित्तीय सहायता द्वारा पारिश्रमिक मूल्य पर ऊन की और अधिक खरीद करने के लिए सहायता करने हेतु सभी प्रमुख ऊन उत्पादकों के लिए ऊन विपणन योजना (डब्ल्यूएमएस) नामक एक योजना लागू की गई है। वर्ष 2017-18 से 2019-20 तक इसे क्रियान्वित करने के लिए इस योजना के अंतर्गत 10 करोड़ रुपए का वित्तयी प्रावधान किया गया है।

(ii) ऊन प्रसंस्करण योजना (डब्ल्यूपीएस)

ऊनी उद्योग अपर्याप्त और पुरानी प्रसंस्करण सुविधाओं से ग्रस्त है। अच्छी गुणवत्ता वाले तैयार उत्पाद सुनिश्चित करने के लिए करघा पूर्व और करघा पश्च सुविधाओं को आधुनिक बनाए जानेकी आवश्यकता है। इसके मद्देनजर यह योजना विभिन्न किस्म के ऊन और ऊनी प्रसंस्करण सुविधाओं जैसे ऊन स्कॉवरिंग, ड्राइंग, कार्डिंग, डाइंग, निटिंग, विविंग ऊन उत्पादन और ऊन व्यापार के क्षेत्रों में फेल्टिंग/नॉन-वूवन के लिए सामान्य सुविधा केंद्र (सीएफसी) की स्थापना करने के लिए सहायता प्रदान करेगी। यह नया पृथक कार्यक्रम, फाइबर की लंबाई और ऊन की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए मशीन शीप शियरिंग, गुणवत्ता वाले मानदंडों के साथ परीक्षण उपकरण, कम्प्यूटर सहायति डिजाइनिंग सॉफ्टवेयर आदि सहित सभी किस्म के ऊन और ऊनी प्रसंस्करण सुविधाओं का एक व्यापक सेवा पैकेज प्रदान करेगा। ऐसे संयंत्रों/केंद्रों की स्थापना करने से ऊन प्रसंस्करण क्षमता में वृद्धि होगी और भारतीय उद्योग के लिए अधिक मूल्य वृद्धि होगी तथा इससे रोजगार का सृजन भी होगा। जरूरतमंद

व्यक्तियों को निटिंग मशीन, स्पिनिंग चरखा आदि जैसे ऊनी उत्पाद का निर्माण करने वाले छोटे औजारों की खरीद तथा वितरण करने के लिए वित्तीय सहायता भी प्रदान की जाएगी। वर्ष 2017-18 से 2019-20 तक इसे क्रियान्वित करने के लिए इस योजना के अंतर्गत 8 करोड़ रुपए का वित्तयी प्रावधान किया गया है।

(iii) मानव संसाधन विकास और संवर्धनात्मक क्रियाकलाप (एचआरडी)

ऊन क्षेत्र प्राथमिक रूप से असंगठित और श्रम प्रधान क्षेत्र है। ऊन क्षेत्र में इस क्षेत्र के साथ जुडे हुए व्यक्ति अधिकतर निरक्षर, भूमिहीन, पिछड़े वर्ग तथा समाज के सबसे कमजोर वर्ग के होते हैं। ऊन उत्पादन करने वाले जानवरों के पालन पोषण की प्रक्रिया अब भी बहुत पुरानी है। उत्पादन में वृद्धि करने के लिए इसके उत्पादकों को वैज्ञानिक तरीके से भेड़ पालन करने के पहलुओं की शिक्षा देने की आवश्यकता है। भेड़, एवं फार्म प्रबंधन, अंगोरा एवं पश्मीना रियरिंग, मशीन द्वारा शीप रियिरंग, गुणवत्ता नियंत्रण, ऊन की ग्रेडिंग एवं विपणन, ऊन और ऊनी उत्पादों का प्रारंभिक प्रसंस्करण, ऊनी कारीगरों/बुनकरों, कृत्रिम प्रसार के लिए नवीनतम बुनाई और डिजाइनिंग तकनीकों जैसे विभिन्न विख्यात संगठनों/संस्थाओं/विभागों के सहयोग से प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाने की कुछ क्षेत्रों की पहचान की गई है।

इसके अलावा, प्रमाणन, लेबलिंग, ऊन की ब्रांडिंग, विविधीकृत उत्पादों का विकास, नई प्रक्रिया/उत्पादों का विकास, प्रक्रिया/मशीनों का प्रसंस्करण करने के लिए अनुसंधान एवं विकास कार्य किए जाएंगे। संगोष्ठी/कार्यशाला/प्रदर्शनी और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग, प्रचार किया जाएगा। ऊनी उद्योग को ऊन प्रशिक्षण सुविधा प्रदान करने के लिए बीकानेर में ऊन परीक्षण केंद्र प्रचालित करने जारी किए जाएंगे। वर्ष 2017-18 से 2019-20 तक इसे क्रियान्वित करने के लिए इस योजना के अंतर्गत 4 करोड़ रुपए का वित्तयी प्रावधान किया गया है।

(iv) भेड़ पालकों के बीमा के लिए सामाजिक सुरक्षा योजना

भेड़ पालकों के बीमा के लिए सामाजिक सुरक्षा योजना के अंतर्गत जीवन बीमा निगम (एलआईसी) सामाजिक सुरक्षा प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना (एसएसपीएमजेजेबीवाई) के अंतर्गत 18 से 50 वर्ष की आयु वर्ग के व्यक्तियों के लिए भेड़ पालक बीमा योजना क्रियान्वित करेगी। इस योजना को क्रियान्वित करने के लिए केंद्रीय ऊन विकास बोर्ड (सीडब्ल्यूडीबी) भेड़ पालकों के लिए एसएसपीएमजेजेबीवाई के अंतर्गत किए जाने वाले बीमा के लिए सदस्यों की ओर से कार्य करने के लिए विभिन्न ऊन उत्पादक राज्यों में नोडल एजेंसी के रूप में विभिन्न क्रियान्वियन एजेंसियों/संगठनों की पहचान करेगा और प्रति सदस्य प्रति वर्ष 80 रुपए की दर से अंशदानकर्ता सदस्यों के लिए प्रीमियम के साथ संबंधित राज्य/क्षेत्र की एलआईसी इकाई (पीएंडजीएस) को निर्धारित एक्सल प्रपत्र में भेड़ पालकों का डाटा प्रदान करेगा। एलआईसी द्वारा सामाजिक सुरक्षा निधि से वस्त्र मंत्रालय/सीडब्ल्यूडीबी से 162 रुपए के अंशदान सहित प्रति लाभार्थी कुल प्रीमियम की राशि 342 रुपए और एलआईसी द्वारा सामाजिक सुरक्षा निधि से सरकारी अंशदान 100 रुपए प्रति लाभार्थी है। किसी कारणवश मृत्यु हो जाने पर एसएसपीएमजेजेबीवाई के अंतर्गत सुनिश्चित राशि 2,00,000 रुपए

होगी। दुर्घटनावश मृत्यु हो जाने पर पीएमएसबीवाई के अंतर्गत सुनिश्चित राशि 2,00,000 रुपए होगी। इसके मद्देनजर यदि एसएसपीएमजेजेबीवाई के अंतर्गत शामिल सदस्य की दुर्घटनावश मृत्यु हो जाती है तो कुल सुनिश्चित राशि 4,00,000 रुपए होगी। स्थायी रूप से पूर्ण विकलांगता के मामले में 2,00,000 रुपए का भुगतान किया जाएगा। आंशिक रूप से किंतु स्थायी विकलांगत के मामले में सदस्यों को 1,00,000 रुपए का भुगतान किया जाएगा।

वर्ष 2017-18 से 2019-20 तक इसे क्रियान्वित करने के लिए इस योजना के अंतर्गत 12 करोड़ रुपए का वित्तयी प्रावधान किया गया है।

(v) अंगोरा ऊन विकास योजना (एडब्ल्यूडीएस)

यह योजना अनिवार्य प्रशिक्षण, खाद्य सामग्री और पोषण सहायता, दवा की आपूर्ति आदि सहित फाउंडेशन स्टॉक के रूप में अंगोरा खरगोश का वितरण करके किसानों में अंगोरा पालन क्रियाकलाप में सहायता करने के लिए देश के पहाड़ी क्षेत्रों में क्रियान्वित की जा रही है। इस योजना दो संघटक अर्थात मिनी अंगोरा रेबिट फॉर्म और अंगोरा रेबिट जर्म प्लाज्म केंद्र की स्थापना आदि हैं। वर्ष 2017-18 से 2019-20 तक इसे क्रियान्वित करने के लिए इस योजना के अंतर्गत 2 करोड़ रुपए का वित्तयी प्रावधान किया गया है।

(vi) ऊन विकास योजना (डब्ल्यूडीएस)

राज्य सरकार पशुपालन विभाग/भेड़ एवं ऊन विकास बोर्ड/निगम की सहायता से क्रियान्वित की जा रही चल रही परियोजनाओं के अंतर्गत वित्तीय दायित्वों को पूरा करने के लिए वस्त्र मंत्रालय ने स्वास्थ्य देखभाल, नस्ल सुधार जैसे संघटक के साथ 12वीं योजना की भेड़ एवं ऊन सुधार योजना (एसडब्ल्यूआईएस) की चल रही परियोजनाओं को जारी रखने का प्रावधान किया है। वर्ष 2017-18 से 2019-20 तक इसे क्रियान्वित करने के लिए इस योजना के अंतर्गत 7 करोड़ रुपए का वित्तयी प्रावधान किया गया है।

(viii) पश्मीना ऊन विकास के लिए जम्मू एवं कश्मीर राज्य के लिए पुनर्निर्माण योजना

माननीय प्रधानमंत्री ने 50 करोड़ रुपए के बजट आबंटन से पश्मीना ऊन विकास के लिए एक विशेष पैकेज की घोषणा की है। वस्त्र मंत्रालय ने सभी स्टेकहोल्डरों जैसे लद्दाख स्वायत्त पहाड़ी विकास परिषद (एलएएचडीसी), लेह/कारगिल, शिल्प विकास संस्थान, श्रीनगर, शेरे कश्मीर विश्वविद्यालय, उद्योग एवं वाणिज्य विभाग, श्रीनगर के परामर्श से जम्मू एवं कश्मीर सरकार, उद्योग और वाणिज्यिक विभाग, श्रीनगर द्वारा तैयार की गई परियोजना को अनुमोदित किया है। इस परियोजना में कच्ची पश्मीना उत्पादों के विपणन तक समग्र आपूर्ति श्रृंखला ऊर्ध्वाधर एकीकरण करके पश्मीना के समग्र विकास की परिकल्पना की गई है। इस परियोजना के विशिष्ट उद्देश्य उत्पादकता, विविधीकरण, उत्पाद गुणवत्ता, विपणन के क्षेत्र और प्लेटफार्मों का सुधार करके जम्मू एवं कश्मीर

राज्य ने पश्मीना शिल्प से जुड़े मानव संसाधन के लिए आय और नौकरी के अवसरों में वृद्धि करना और पश्मीना को विश्व स्तर पर विख्यात ब्रांड के रूप में स्थापित करना है।

इस योजना के अंतर्गत पश्मीना क्षेत्र के सभी क्षेत्रों को शामिल करते हुए निम्नलिखित संघटकों को क्रियान्वित किया जाएगा:

- **कच्ची पश्मीना के उत्पादन में वृद्धि:** चांगड़ा बकरी के पोषण की स्थिति में सुधार, गांव/ब्लॉक और जिला स्तर पर पशुओं की स्वास्थ्य देखभाल की प्रणाली को मजबूत बनाकर, चयनित ढंग से पालन, पहचान किए गए गैर-परंपरागत क्षेत्रोंमें पश्मीना बकरी इकाइयों की स्थापना और मौजूदा पश्मीना बकरी फॉर्म का उन्नयन।
- **मॉडल उत्पादन क्षेत्र की स्थापना:** कौशल और क्षमता उन्नयन का निर्माण, औजार और प्रौद्योगिकी का उन्नयन, पश्मीना ऊन के प्रसंस्करण के लिए सामान्य सुविधा केंद्र (सीएफसी) का निर्माण और कच्ची सामग्री बैंक की स्थापना।
- **पश्मीना संसाधन केंद्र की स्थापना:** पश्मीना क्षेत्र के मसलों का निवारण करना।
- **संवर्धन और जागरूकता प्रचार:** पश्मीना शिल्प के लिए प्रिंट और इलैक्ट्रानिक मीडिया, वीडियो फिल्म बनाकर और समर्पित वेब डोमेन की स्थापना करके।
- **व्यवसाय और विपणन:** अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय बाजार कार्यक्रमों में भागीदारी और मौजूदा बाजार आउटलेटों को मजबूत बनाकर तथा ई-वाणिज्य के साथ लिंकेज।

वित्त वर्ष 2017-18 से 201 9-20 के लिए आईडब्ल्यूडीपी के योजनावार आउटपुट और परिणाम :

क्र. सं.	योजना का नाम	आउट पुट	परिणाम
1	ऊन विपणन योजना (डब्ल्यूएमएस)	रिवॉलविंग फंड संघटक के तहत भेड़ प्रजनकों से ऊन की सीधे खरीद - राज्यों में ऊन उत्पादक समितियों के गठन के लिए वित्तीय सहायता / प्रोत्साहन और ऊन मंडियों में आधारभूत संरचना को मजबूत करना - ऊन विपणन के लिए ई-मार्केट का विकास - मशीनों द्वारा शियरिंग और ऊन के प्राथमिक ग्रेडिंग के लिए भेड़पालकों द्वारा अपनाने पर राज्य क्रियान्वयन एजेंसियों को प्रोत्साहन	- ऊन (कि. ग्रा. में) सीधे भेड़ प्रजनकों से प्राप्त की जाती है, - बुनियादी ढांचे के उन्नयन के तहत कवर मंडियों की संख्या, - गठित ऊन उत्पादक सोसायटी (स्वयं सहायता समूह) की संख्या - मशीनों द्वारा काती गई भेड़ों की संख्या तथा ग्रेडेड ऊन का अनुमानित वजन - एमआईएस के माध्यम से ऊन के लिए ई-मार्केट का विकास और ई-नीलामी के लिए सुविधा - को ऊन के परिवहन के लिए सब्सिडी प्राप्त करने वाली कार्यान्वयन एजेंसी \ व्यक्तियों की संख्या
2	ऊन प्रसंस्करण	- ऊन प्रसंस्करण मशीनों के लिए	- स्थापित सीएफसी की संख्या,

	योजना (डब्ल्यूपीएस)	सामान्य सुविधा केंद्र (सीएफसी) की स्थापना, - शीप शियरिंग मशीनों के लिए वित्तीय सहायता, - ऊनी वस्तुओं के निर्माण के लिए छोटे उपकरणों के वितरण हेतु वित्तीय सहायता	- उपलब्ध कराई गई मशीन \ अन्य उपकरणों की संख्या - ऊनी वस्तुओं के निर्माण के लिए वितरित छोटे उपकरणों की संख्या
3	एचआरडी और संवर्धनात्मक गतिविधियां (एचआरडी)	- प्रशिक्षण के माध्यम से लोगों को प्रशिक्षण प्रदान करना, - आरएंडडी परियोजना के माध्यम से दक्कनी ऊन का उपयोग, - प्रमाणन, ब्रांडिंग, पश्मीना ऊन की लेबलिंग, - कालीन उद्योग / डिजाइन / प्रशिक्षण / ऊन परीक्षण के लिए सुविधा	- प्रशिक्षित व्यक्तियों की संख्या, - अनुमोदित आरएंडडी परियोजनाओं की संख्या और उनकी प्रगति - ऊन परीक्षण के लिए प्राप्त नमूनों की संख्या। - आयोजित संगोष्ठी \ कार्यशालाओं\ प्रदर्शनी \ क्रेता-विक्रेता बैठकों की संख्या
4	अंगोरा ऊन विकास योजना (एडब्ल्यूडीएस)	- जर्मप्लाज्म की स्थापना (जीपीसी) और - मिनी एंगोरा रैबिट फार्म	- स्थापित जर्मप्लाज्म केंद्रों की संख्या - स्थापित मिनी अंगोरा फार्म की संख्या - वितरित अंगोरा खरगोश की संख्या
5	ऊन विकास योजना (डब्ल्यूडीएस)	- भेड़ों के स्वास्थ्य देखभाल और नस्ल सुधार के लिए सहायता प्रदान करें	- लाभ प्राप्त करने वाली भेड़ों की संख्या
6	सामाजिक सुरक्षा योजना: (एसएसएस)	- भेड़ प्रजनकों के लिए सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना (बीमा योजना के तहत भेड़पालकों को लाभ प्रदान करना)	- जीवन बीमा प्रदान किए जाने वाले भेड-पालकों की संख्या
7	जम्मू-कश्मीर राज्य के लिए पुनर्निर्माण योजना (पश्मीना संवर्धन कार्यक्रम: पी -3)	- चरागाह खेतों का विकास, - घूमंतुओं और बकरियों के लिए आश्रय का निर्माण, - तंबुओं का वितरण - पश्मीना बकरियों का वितरण, - पश्मीना ऊन की खरीद, - ऊन प्रसंस्करण मशीनों की स्थापना, क्षमता निर्माण, प्रचार और पश्मीना उत्पादों का प्रचार एवं विपणन - प्रीडेटर प्रूफ कोरल और एलईडी रोशनी का प्रावधान	- विकसित की गई चरागाह भूमि की संख्या - वितरित तंबुओं की संख्या - विकसित चारा बैंकों की संख्या - निर्मित आश्रय शेड की संख्या - स्थापित मिनी पश्मीना फार्म की संख्या - वितरित प्रीडेटर प्रूफ कोरल और चेतावनी रौशनियों की संख्या - स्थापित किए गए टीका भंडारण केंद्रों की संख्या - अपग्रेड किए गए पश्मीना फार्मों की संख्या - कि. ग्रा. में खरीदी गई पश्मीना ऊन - स्थापित पश्मीना ऊन प्रसंस्करण केंद्रों की

		- अनुवांशिक अध्ययन और चांगरा नस्ल के अनुसंधान का प्रावधान - सरकारी एवं वित्तीय योजनाओं पर जागरूकता कार्यक्रम	संख्या - कार्यशालाओं की संख्या (क्षमता निर्माण, उत्पाद विविधीकरण और डिजाइन विकास कार्यशालाएं, उद्यमिता विकास कार्यक्रम) और भाग लेने वाले लोगों की संख्या - संपन्न शोध अध्ययनों की संख्या - आयोजित विज्ञापन अभियानों की संख्या (रेडियो / राष्ट्रीय समाचार पत्र / जीवन शैली पत्रिका / बैनर)

4. <u>12 वीं योजना की मुख्य विशेषताएं</u> : पश्मीना संवर्धन कार्यक्रम (पी -3)

भारत दुनिया में सबसे अच्छी गुणवत्ता वाली पश्मीना ऊन पैदा करता है। वर्तमान में, भारत के लद्दाख क्षेत्र में पश्मीना ऊन का उत्पादन कम मात्रा में किया जा रहा है। लद्दाख क्षेत्र में 2.45 लाख पश्मीना बकरी हैं, जो हर साल लगभग 40 से 50 टन कच्चे पश्मीना का उत्पादन करती हैं। उत्पादित पश्मीना में उत्कृष्ट गुण हैं और इससे बने उत्पाद बहुत अधिक मूल्यवान हैं और उनमें निर्यात क्षमता भी है। इस क्षेत्र में कई घूमंतू परिवार पश्मीना बकरियों के पालन पर निर्भर हैं।

कपड़ा मंत्रालय ने लेह की अपनी यात्रा (12 अगस्त, 2014) के दौरान माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की घोषणा के अनुसार भारत के लद्दाख क्षेत्र में क्रियान्वयन के लिए पश्मीना संवर्धन कार्यक्रम (पी -3) शुरू किया है। वस्त्र मंत्रालय ने जम्मू एवं कश्मीर राज्य के लद्दाख क्षेत्र के लेह और कारगिल जिलों के मंडल आयुक्त की मदद से पश्मीना के संवर्धन और घूमंतुओं के कल्याण के लिए कार्यक्रमों को एक विशेष पैकेज की भांति क्रियान्वित किया है। वस्त्र मंत्रालय ने पश्मीना ऊन की गुणवत्ता और मात्रा में सुधार के साथ-साथ लद्दाख क्षेत्र के गरीब घूमंतुओं (ऊन उत्पादकों) के जीवन स्तर में सुधार के लिए लद्दाख क्षेत्र और लद्दाख स्वायत्त पर्वतीय विकास परिषद, (एलएएचडीसी) के ऊन उत्पदकों की मांग के अनुरूप कार्यक्रम (पी-3) का क्रियान्वयन किया है।

इस कार्यक्रम (पी -3) के तहत, वस्त्र मंत्रालय ने ऊन के परीक्षण के लिए सामान्य पश्मीना सुविधा केन्द्र, रोग निगरानी केंद्र, भौगोलिक सूचना प्रणाली (जीआईएस) प्रयोगशाला, घूमंतुओं के लिए 100 आश्रय स्थल, हथकरघा कताई / बुनाई के लिए पोर्टेबल बिजली के उपकरणों का वितरण, 5 सौर ऊर्जा से युक्त समुदाय केन्द्रों के निर्माण, पश्मीना बकरियों के चरागाह के लिए चारा मैदानों का विकास, किसानों को फाउंडेशन स्टॉक (नर और मादा बकरियों) के लिए वितरण और पश्मीना जानवरों के आवास के लिए आश्रय का निर्माण जैसे विभिन्न संघटकों के अंतर्गत 13.61 करोड़ रुपए का अनुदान जारी किया है। यह कार्यक्रम 2015 से लेह और कारगिल जिलों के आयुक्त की मदद से शुरू किया गया है।

उपरोक्त के अलावा, वस्त्र मंत्रालय ने केंद्रीय ऊन विकास बोर्ड के माध्यम से लेह और कारगिल जिलों में ऊन क्षेत्र योजनाओं के तहत पश्मीना ऊन विकास योजना (पीडब्लूडीएस) को भी लागू किया है। लद्दाख क्षेत्र में पीडब्ल्यूडीएस के कार्यान्वयन के तहत, सीडब्ल्यूडीबी ने कुल 25.83

करोड़ रुपए का अनुदान जारी किया और नए क्षेत्रों में पश्मीना रियरिंग के विस्तार के लिए गैर-परंपरागत क्षेत्रों में नस्ल सुधार हेतु फाउंडेशन के रूप में 459 उच्च गुणवत्ता पश्मीना का वितरण किया गया तथा 39 मिनी पश्मीना फार्मों (प्रत्येक में 50 बकरी) की स्थापना की गई, ऊन उत्पादकों / खानाबदोशों को प्रशिक्षण प्रदान किया, सालाना 40,000 योग्य पश्मीना बकरियों को पूरक आहार वितरित किया गया, बकरियों के लिए बिना छत वाले घर उपलब्ध कराने हेतु 420 पश्मीना गोट पेन का वितरण किया गया, गरीब घूमंतुओं को 775 पोर्टेबल टैंट, गमबूट्स, चश्मे आदि उपलब्ध कराए गए, प्रति वर्ष 2 लाख पश्मीना बकरियों को स्वास्थ्य देखभाल (दवाएं) उपलब्ध कराई गईं, 3 ब्रीडिंग फार्मों और 3 चारा बैंकों/फार्मों का सुदृढ़ीकरण किया गया, प्रवासी मार्गों पर 3 चरागाह फार्म स्थापित किए गए। यह कार्यक्रम लद्दाख स्वायत्त पहाड़ी विकास परिषद, लेह और कारगिल जिलों की मदद से लागू किया गया है।

5 . <u>बजटीय सहायता:</u>

i) वार्षिक योजना 201 7-18 :

जम्मू-कश्मीर राज्य के माननीय प्रधानमंत्री की घोषणा के अनुसार, वित्त वर्ष 2017-18 से 2019-20 के दौरान क्रियान्वयन हेतु 50 करोड़ रुपए के साथ 'जम्मू-कश्मीर राज्य के लिए पुनर्निर्माण योजना' नामक ऊन क्षेत्र की योजना के तहत एक प्रमुख कार्यक्रम शुरू किया गया है। इस परियोजना में उत्पादन से विपणन तक पूरी आपूर्ति श्रृंखला के ऊर्ध्वाधर एकीकरण के माध्यम से पश्मीना शिल्प के समग्र विकास की परिकल्पना की गई है। इस परियोजना के विशिष्ट उद्देश्यों में पश्मीना को एक वैश्विक रूप से विख्यात ब्रांड के रूप में स्थापित करते हुए उत्पादकता, विविधीकरण, उत्पाद गुणवत्ता, विपणन के अवसरों तथा मंचों में सुधार करते हुए जम्मू एवं कश्मीर राज्य में पश्मीना शिल्प के साथ जुड़े मानव संसाधन के लिए आय तथा रोजगार अवसरों में वृद्धि करना है। कच्चे पश्मीना के उत्पादन में वृद्धि करने पर ध्यान केंद्रित करते हुए परियोजना पश्मीना उत्पादों के विकास की प्रक्रिया में कुशल और उत्पादक तरीकों का प्रयोग करेगी।

वित्त वर्ष 2017-18 के दौरान लद्दाख स्वायत्त पर्वतीय विकास परिषद (एलएएचडीसी), लेह और करगिल और शिल्प विकास संस्थान, श्रीनगर को पश्मीना क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए 'जम्मू और कश्मीर राज्य के लिए पुनर्निर्माण योजना' के तहत कुल 7.49 करोड़ रुपए जारी किए गए हैं।

उपरोक्त के अलावा, बोर्ड ने भेड एवं ऊन सुधार योजना (एसडब्ल्यूआईएस) के तहत विभिन्न ऊन उत्पादक राज्यों की चल रही 12वीं योजना की चालू परियोजाओं की देनदारियों को पूरा करने के लिए 1.93 करोड़ रुपए जारी किए हैं।

2017-18 के दौरान, ऊन क्षेत्र की योजनाओं के अंतर्गत निम्नानुसार 9.95 करोड़ रुपए जारी किए गए हैं:

आईडब्ल्यूडीपी के तहत योजनाएं	**व्यय (रुपये लाख)**
ऊन विपणन योजना (डब्ल्यूएमएस)	-
ऊन प्रसंस्करण योजना: (डब्ल्यूपीएस)	-

एचआरडी और सवर्धनात्मक गतिविधियां	**52.38**
सामाजिक सुरक्षा योजना: (एसएसएस)	-
जम्मू-कश्मीर राज्य के लिए पुनर्निर्माण योजना	**748.99**
ऊन विकास योजना (डब्लूडीएस)	**193.43**
अंगोरा ऊन विकास योजना (एडब्ल्यूडीएस)	-
अनुदान कुल	**994.80**

6. **<u>भावी योजना:</u>**

सरकार, ऊन क्षेत्र के समग्र विकास के लिए ऊन क्षेत्र की योजनाओं को कार्यान्वित कर रही है, और निम्न के लिए गंभीर प्रयास कर रही है:

- ऊन की गुणवत्ता और मात्रा में सुधार करना (कालीन ग्रेड, अंगोरा और पश्मीना जैसे विशेष ऊन फाइबर, परिधान ग्रेड और दक्कनी ग्रेड ऊन)। ऊन की उत्कृष्टता (माइक्रोन) में सुधार और प्रति पशु ऊन उपज 10% बढ़ना।
- मृत्यु दर को वर्तमान 12-15% से 5-7% की दर से नीचे लाने के लिए भेड़ और पश्मीना बकरियों की मृत्यु दर कम करना।
- ऊन से ऊन उत्पादकों के लिए बेहतर रिटर्न में 5% की वृद्धि
- घरेलू ऊन की उपलब्धता में 5% की वृद्धि
- ऊन और ऊनी वस्त्रों के लिए प्रसंस्करण सुविधाओं के निर्माण के लिए सामान्य सुविधा केंद्र (सीएफसी) की स्थापना और ऊन प्रसंस्करण सुविधाओं में सुधार
- कुशल व्यक्तियों / जनशक्ति की उपलब्धता में वृद्धि।
- अच्छी गुणवत्ता वाले ऊन उत्पादक जानवरों की नस्ल में सुधार के लिए फाउंडेशन स्टॉक के रूप में गुणवत्ता वाले पश्मीना बक्स और एंगोरा खरगोश उपलब्ध कराना।
- उत्पाद विकास / उत्पाद विविधीकरण और आरएंडडी कार्यों/परियोजनाओं द्वारा मोटे और रंगीन डेक्कानी ऊन (दक्षिणी क्षेत्र) के उपयोग को विस्तार देना।
- पश्मीना बकरियों और एंगोरा खरगोशों जैसे गुणवत्ता विशेष फाइबर के जेनरिक संवर्धन को प्रेरित करना और पश्मीना ऊन के उत्पादन में 2-3% की वृद्धि करना।
- भारत सरकार की सामाजिक सुरक्षा योजना के तहत ऊन उत्पादकों को लाभ पहुंचाना।
- कच्चे ऊन की विपणन सुविधा के लिए राज्य ऊन विपणन संगठनों को मजबूत करना और ऊन उत्पादकों हेतु लाभकारी रिटर्न सुनिश्चित करना।
- घरेलू और अंतरराष्ट्रीय बाजार में भारतीय ऊन की मांग बढ़ाना।

****